उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्या- 2134 /नौ-7-2023-03(ज)/2023
दिनांक- 13 अक्टूबर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

नगर विकास विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु संचालित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ-साथ "मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) (सीएम- ग्रिड्स)" के कार्यान्वयन, संचालन एवं मूल्यांकन के लिए नगर विकास विभाग के अन्तर्गत "अर्बन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एजेन्सी" (URIDA) का गठन किये जाने का निर्णय सम्यक विचारोपरांत लिया गया है। एजेन्सी का कार्यालय स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के भवन में स्थापित होगा। निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त कार्यालय के लिए आवश्यक स्पेश एवं अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

2- एजेन्सी के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे -

- शहरी सड़कों के लिए सभी परिसम्पत्तियों के विकास एवं रख-रखाव हेतु 'नगरीय सड़क प्रबन्धन प्रणाली' का विकास करना।
- शहरी सड़क के विकास एवं प्रबंधन के क्षेत्र में थिंक टैंक, नॉलेज रिर्सोसेज आर्गनाईजेशन एवं एडवाइजरी सपोर्ट के रूप में कार्य करना।
- सरकार, नगरीय निकायों और नागरिकों शामिल करते हुए वैल्यू कैप्चरिंग के माध्यम से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना।
- नगरीय निकायों में सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए उपयुक्त क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार इत्यादि का आयोजन करना।
- अनुसंधान संस्थानों की सहायता से सड़कों के विकास में नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए पर्यावरण अनुकूल एवं कॉस्ट इफेक्टिव सड़कों के विकास हेतु प्रयास करना।
- सीएम- ग्रिड्स (अर्बन) के मानक और दिशा-निर्देश तैयार कराना। नगर निकायों के राजस्व संग्रहण में वृद्धि के आधार पर योजनान्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराना।
- सीएम- ग्रिड्स (अर्बन) के अन्तर्गत निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु सड़कों का चयन करने हेतु "सड़क चयन मानदण्ड" तैयार कराना व उसमें यथावश्यक संशोधन करना।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के अन्दर चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीएम-ग्रिड्स (अर्बन) के बैंक अकाउंट का ऑडिट कराना। नगरीय निकाय, सीएम-ग्रिड्स (अर्बन) के बैंक अकाउंट का मिलान विवरण और इसकी सटीकता पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण-पत्र एजेन्सी को प्रस्तुत करेंगे।

3- नगर विकास विभाग द्वारा सड़कों के विकास से संबंधित संचालित योजनाओं के साथ-साथ सीएम-ग्रिड्स (अर्बन) योजना के प्रभावी मॉनिटरिंग, एसेसमेन्ट व रिव्यू के लिए एजेन्सी की एक आमसभा का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

Scanned with CamScanner

1	मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग,उ.प्र. शासन	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,उ.प्र. शासन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य
5	सचिव, नगर विकास विभाग,उ.प्र. शासन	सदस्य
6	निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ	सदस्य
7	विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-7, उ.प्र. शासन/सी.ई.ओ. यूरिडा	सदस्य-सचिव

आमसभा के सदस्य-सचिव द्वारा शहरी सड़क विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति व निष्पादन आदि से समय-समय पर एजेन्सी की आमसभा को अवगत कराया जायेगा। आमसभा की बैठक प्रत्येक छमाही आहूत की जायेगी।

4- एजेन्सी के अन्तर्गत एक कार्यकारी समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है -

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग , उ.प्र. शासन	अध्यक्ष
2	निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ	उपाध्यक्ष
3	विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, अनुभाग-7, उ.प्र. शासन/सी.ई.ओ. यूरिडा	सदस्य-सचिव
4	संबंधित नगर निगम के नगर आयुक्त/संबंधित नगर निकाय के कार्यपालक अधिकारी	सदस्य
5	प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
6	मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ	सदस्य
7	मुख्य अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, उ.प्र. लखनऊ	सदस्य
8	वित्त नियंत्रक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ	सदस्य
9	डिप्टी सी.ई.ओ., यूरिडा	सदस्य

5- कार्यकारी समिति के कार्य निम्नवत होगें -

- नगर विकास विभाग द्वारा संचालित सड़क निर्माण से संबंधित सभी योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- सीएम-ग्रिड्स (अर्बन) की समस्त गतिविधियों यथा-प्लानिंग, डिजाईनिंग, टेण्डरिंग, मॉनीटरिंग एवं अनुरक्षण का प्रबन्धन।
- क्षमता निर्माण हेतु ऑनलाईन संगोष्ठियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन।
- सड़क निर्माण के मानक एवं दिशा-निर्देश जारी करना तथा उन्हें ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध कराना एवं सृजित परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन व रख-रखाव हेतु प्रणाली का विकास करना।
- रोड डायरेक्ट्री एवं रोड डाटा बैंक का निर्माण।

Scanned with CamScanner

- सड़कों से संबंधित सभी आवश्यक तथ्यों का एकीकरण एवं समन्वय।
- कॉस्ट इफेक्टिव सड़कों के निर्माण हेतु नवीन टेक्नोलॉजी एवं प्रौद्योगिकी हेतु शोध एवं प्रशिक्षण को बढावा देना।
- नगर विकास विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह आहूत की जायेगी।
- कार्यकारी समिति की बैठक में यूटिलिटी डक्ट के निर्माण के संबंध में विचार-विमर्श किये जाने की स्थिति में संबंधित नगरों में स्थापित जल निगम, विद्युत वितरण, दूर संचार एवं एल.पी.जी. वितरण आदि के कार्यालय/विभाग के स्थानीय अधिकारी/ प्रतिनिधि को विशेष आमंत्री के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

6- एजेंसी एवं सीएम-ग्रिड्स (अर्बन) से संबंधित सभी गतिविधियों के संचालन करने में सहयोग यथा तकनीकी सहायता, परामर्श, मॉडल आर.एफ.पी. निर्माण, निविदा प्रक्रिया, सड़क निर्माण गतिविधियों, प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण में सहयोग इत्यादि प्राप्त करने के लिए राज्य स्तर पर एक परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) का गठन किया जायेगा। डिप्टी सी.ई.ओ. यूरिडा, पी.एम.यू. पर कार्यकारी नियंत्रण रखेगा। एजेंसी हेतु डिप्टी सी.ई.ओ. यूरिडा, का एक पद सृजित किया जायेगा, जिस पर प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर के से.नि. सिविल इंजिनियर की तैनाती प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर की जायेगी। डिप्टी सी.ई.ओ., यूरिडा को देय पारिश्रमिक (remuneration) एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त पृथक् से निर्गत किये जायेंगे। डिप्टी सी.ई.ओ., योजना की प्रगति इत्यादि से संबंधित रिपोर्ट कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और कार्यकारी समिति के सभी दिशा—निर्देशों को क्रियान्वित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

7- सीएम-ग्रिड्स (अर्बन) योजना में कुल प्राविधानित बजट का 1.5 प्रतिशत भाग एजेन्सी (URIDA) स्तर पर आरक्षित किया जायेगा। किसी भी वित्तीय वर्ष में एजेन्सी हेतु आरक्षित धनराशि योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट के 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उक्त धनराशि के अन्तरण के लिए एजेन्सी तथा निकाय स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उक्त बैंक खाते में अवशेष धनराशि एजेन्सी तथा निकाय द्वारा ब्याज सहित राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

8- आरक्षित धनराशि में से 0.75 प्रतिशत भाग का उपयोग एजेन्सी द्वारा क्षमता निर्माण, इनफॉरमेशन एजुकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (IEC), प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A&OE) पर किया जायेगा। एजेन्सी द्वारा उक्त धनराशि का व्यय निम्नलिखित गतिविधियों पर भी किया जा सकता है:-

- एजेन्सी स्तर पर वर्कशाप/ट्रेनिंग/अध्ययन/केस स्टडीज एवं परिचयात्मक यात्राओ हेतु।
- डिजिटल और आई.टी. इनिशिएटिव हेतु।
- सामाजिक-आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन अध्ययन/शोध/ अभिलेखीकरण हेतु।
- मानव संसाधन विकास हेतु।
- राज्य स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु।
- वार्षिक रिपोर्ट हेतु।

Scanned with CamScanner

9- आरक्षित धनराशि का 0.75 प्रतिशत अंश एजेन्सी द्वारा निकायों को यथा निर्धारित फार्मूले के आधार पर अंतरित किया जायेगा, जिसका उपयोग निकायों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों पर किया जा सकता है:-

- सामाजिक आर्थिक, पर्यावरणीय, प्रभाव मूल्यांकन, अध्ययन/शोध/ अभिलेखीकरण हेतु।
- डी.पी.आर. के गठन आदि के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप/अध्ययन/परिचयात्मक यात्रा हेतु।
- सर्वे/डी.पी.आर. के गठन हेतु कार्य कर रहे कन्सल्टेन्ट प्लानर के भुगतान हेतु।
- मानव संसाधन विकास हेतु।

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव/मुख्य स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन/ लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
13. मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
14. मुख्य अभियंता, आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
15. वित्त नियंत्रक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
16. निदेशक, सूचना एव जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
18. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
19. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासना।
20. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल (वेबसाट पर अपलोड किये जाने हेतु)।

आज्ञा से,
13.10.23
(डॉ. राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव।

2022-23-1

Scanned with CamScanner